संख्या– /XXVIII(1)/2017-40(चि०शि०)/2015

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग
107 चन्दर नगर, देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 26 सितम्बर, 2017।

विषयः– राजकीय दून मेडिकल कालेज, चिकित्सालय में हीमोफीलिया रोग से सम्बन्धित क्रय की गयी औषधियों के बीजाकों के लम्बित देयकों के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–610/XXVII (1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित निर्देशों एंव आपके पत्र संख्या 2007/चि0शि0/03(मेडिकल)/197/2015 दिनांक 02 मई, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में हीमोफीलिया रोग से सम्बन्धित क्रय की गयी औषधियों के बीजाकों के लम्बित देयकों का भुगतान लेखाशीर्षक–2210–05–105–04–0412–हीमोफीलिया ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु औषधि एंव उपकरण की व्यवस्था के अन्तर्गत मानक मद–39–औषधि तथा रसायन में प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून के निर्वतन पर रखी धनराशि रू0 70.00 लाख के सापेक्ष की धनराशि **रू0 15,25,913/– (रू0 पन्द्रह लाख पच्चीस हजार नौ सौ तेरह मात्र)** के व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

i. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यतानुसार ही किया जाय तथा धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक आवश्यकतानुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

ii. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

iii. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

iv. स्वीकृत की जा रही धनराशि तथा व्यय धनराशि का लेखा जोखा रखा जायेगा। प्रशासनिक/बजट नियत्रंण अधिकारी द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का लेखा–जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इस का महालेखाकार से मिलान करते हुए मिलान की प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जाय।

v. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक

v. सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य –05–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति–04–मेडिकल कालेज–0412– हीमोफीलिया ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु औषधि एंव उपकरण की व्यवस्था के अर्न्तगत मानक मद– 39–औषधि तथा रसायन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।

सं0– 562 /XXVIII(1)/2017-40(मे0का0)/2015 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 एंव 01 उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।